सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

<u>नोटिस</u>

फा. सं.: NCST/DEV-1574/MH/8/2023-ESDW **दिनांक: 17.04.2023**

श्री वाई.पी.एल राव,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र,
वन भवन, रामगिरी रोड़,
सिविल लाइन, पुलिस जिमखाना के पास,
नागपुर-440001, महाराष्ट्र
ई-मेल:pccfhoffngp@mahaforest.gov.in

श्री अमन मित्तल,
जिला कलेक्टर,
जिला जलगांव,
कलेक्टर कार्यालय,
जिला-जलगांव,
महाराष्ट्र-425001
ई-मेल: collector.jalgaon@maharashtra.gov.in

श्रीमती लीना बंसौर,
प्रबंध निदेशक,
जनजातीय विकास निगम,
2, मंजिल, आदिवासी विकास भवन,
गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड
नासिक, महाराष्ट्र - 422022

श्री दीपक सिंगला,
प्रबंध निदेशक,
शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडल,
2,मंजिल, आदिवासी विकास भवन,
गडकरी चौक, जुना आगरा रोड
नासिक, महाराष्ट्र – 422022

विषय: समाचार कतरन, लोकमत न्यूज़ जलगाँव, महाराष्ट्र में दिनांक 05 अप्रैल 2023 में प्रकाशित समाचार "वन उत्पादों की कम कीमत में खरीद करके आदिवासियों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी की शिकायत" के सम्बन्ध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार पत्र मे प्रकाशित लेख **"वन उत्पादों की कम कीमत में खरीद करके आदिवासियों के साथ आर्थिक धोखा धड़ी की शिकायत"** के संबंध में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने इस मामलें का **स्वतः संज्ञान** लेते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **03 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

<u>संलग्न यथोपरि.</u>

5627-30
18/04/23
ISSUED

(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

<u>प्रतिलिपि संलग्न:</u>

1. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.